



कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-166/स्टे.आयु./2020-21/3905

भिलाई, दिनांक 21/9/2020

//आदेश//

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग) जिला- दुर्ग (छ.ग.) के आदेश क. /1036/मबावि/आईसीडीसी/2020-21, दुर्ग, दिनांक 19.09.2020 के अनुसार कलेक्टर महोदय द्वारा लॉगडाउन की अवधि(20-30 सितंबर 2020) से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर कोरोना संक्रमण से संबंधित सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश की छायाप्रति संलग्न है।

तदनुसार संपूर्ण कार्यवाही की सतत मॉनिटरिंग व पर्यवेक्षण हेतु श्री अशोक द्विवेदी, उपायुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को नोडिल अधिकारी नियुक्ति किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 21/9/2020

पृ. क/एफ-166/स्टे.आयु./2020-21/3906

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला-दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला-दुर्ग को सूचनार्थ।
3. श्री अशोक द्विवेदी, उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. उपायुक्त I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना -दुर्ग शहर को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्र. 1,2,3,4 एवं 5, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ। प्रेस विज्ञप्ति जारी हेतु।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई